संख्या-835/2026/2076/22-2-2025-17(1089)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 25 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बसन्त जोशी पुत्र श्री जगदीश शरण जोशी, निवासी जनपद-नैनीताल (उत्तराखण्ड) की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र सं0-37758/प्रो0-3-फार्म-ए/(एम-23.09.2025) दिनांक-30.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बसन्त जोशी पुत्र श्री जगदीश शरण जोशी, बेहटा थाना-मुक्तेशवर, जनपद-नैनीताल (उत्तराखण्ड) का निवासी है। घर में लूटपाट के उद्देश्य से दिनांक 30.05.2010 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर धारदार हथियार से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-1201/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 394, 411 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 22.06.2013 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 28.11.2024 तक 14 वर्ष 05 माह, 15 दिन की अपरिहार तथा 17 वर्ष, 06 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, नैनीताल द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

शासनादेश संख्या-1292/22-02-2012-19जी/2012, दिनांक 02 नवम्बर, 2012 में दी गई व्यवस्था के प्रक्रिया के अनुसार प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी बसन्त जोशी पुत्र जगदीश शरण जोशी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में घर में लूटपाट के उद्देश्य से दिनांक 30.05.2010 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर धारदार हथियार से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने एवं पुनः अपराध करने में अशक्त न होने के सम्बन्ध में कोई ठोस तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार बन्दी की आयु 42 वर्ष 04 माह, 05 दिन होने तथा अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बसन्त जोशी पुत्र जगदीश शरण जोशी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बसन्त जोशी (बन्दी संख्या-20413) पुत्र श्री जगदीश शरण जोशी, निवासी जनपद-नैनीताल (उत्तराखण्ड) के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-835/2026/2076(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-नैनीताल (उत्तराखण्ड)।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-835/2026/2076/22-2-2025-17(1089)/2025

दिनांक 25 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बसन्त जोशी पुत्र श्री जगदीश शरण जोशी, बेहटा थाना-मुक्तेशवर, जनपद-नैनीताल (उत्तराखण्ड) का निवासी है। घर में लूटपाट के उद्देश्य से दिनांक 30.05. 2010 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर धारदार हथियार से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-1201/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 394, 411 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 22.06.2013 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 28.11.2024 तक 14 वर्ष 05 माह, 15 दिन की अपरिहार तथा 17 वर्ष, 06 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, नैनीताल द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

शासनादेश संख्या-1292/22-02-2012-19जी/2012, दिनांक 02 नवम्बर, 2012 में दी गई व्यवस्था के प्रक्रिया के अनुसार प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी बसन्त जोशी पुत्र जगदीश शरण जोशी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में घर में लूटपाट के उद्देश्य से दिनांक 30.05.2010 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर धारदार हथियार से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने एवं पुनः अपराध करने में अशक्त न होने के सम्बन्ध में कोई ठोस तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार बन्दी की आयु 42 वर्ष 04 माह, 05 दिन होने तथा अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बसन्त जोशी पुत्र जगदीश शरण जोशी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in